

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक- 27.10.23

पत्रांक- मु0310-4 (मु0)-3054-01-183/2023 - 6519

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0र00  
विशेष सचिव ।

RM/SA/SON/23/0012

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:-

| Sl No | Name of Division | Block     | Project Id  | Name of Road                                              | Length (In KM) | Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs) | Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs) | Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs) | Total Estimated Cost (In Lakhs) |
|-------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                | 3         | 4           | 5                                                         | 6              | 7                                                             | 8                                      | 9                                        |                                 |
| 1     | Sonepur          | Dariyapur | 31306402136 | T01 To Barka Banaya (Sitalpur Parsa Road To Barka Banaya) | 3.259          | 146.83                                                        | 50.02                                  | 14.68                                    | 211.53                          |
| TOTAL |                  |           |             |                                                           | 3.259          | 146.83                                                        | 50.02                                  | 14.68                                    | 211.53                          |

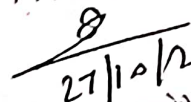
2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सोनपुर के अधीन योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

3. "विहार साक्षीय एवं अनुसूचन नीति-2018" के तहत MHA अप्रतिष्ठित 4-निमित्त से सामाजिक कार्य की निमित्त के निम्नवर्गीय निमित्त को निम्नवर्गीय संवर्धित कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्यवाही जायेगी।
4. इस योजना के तहत के प्रस्ताव पर मासिक एवं मुख्य (साक्षीय कार्य) मंत्री महोदय, प्रादेशिक कार्य विभाग, पटना को अनुमोदन संख्या संख्या- 50310-4 (पुन)-9954-01-183/2023 में दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त है।
5. साक्षीय में अभियंता द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार साक्षीय महोदय, प्रादेशिक कार्य विभाग, विहार, पटना द्वारा दिनांक- 27.11.2023 को संख्या- 50310-4 (पुन)-9954-01-183/2023 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यपालक के पूर्ण स्वीकृति पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रादेशिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकराशनामा के पूर्ण कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुसूचन कार्यक्रम से अछादित नहीं हो।
9. संवर्धित योजनाओं Unsatisfactory / Satisfactory but Requires Improvement कैटेगरी के अन्तर्गत चिह्नित नहीं हो। यदि चिह्नित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. विहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर बाका के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की जिकरायी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा विहार वित्त नियमावली के शुरुंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपवर्धित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि सही मत में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अन्तर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संवर्धित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रतिदिन करवाते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करवाएंगे।

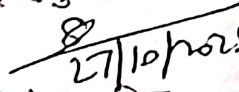
योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रास्तावित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

सीक्रेटरी/आदेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0 - 4 (मु0) - 2054 - 01 - 183/2023 के पृ0- ~~10~~<sup>5</sup>/टि0 पर दिनांक- 13.10.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
27/10/2023  
(संजय दूबे)  
विशेष सचिव

आपांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-01-183/2023 - 5519 /पटना, दिनांक- 27.10.23  
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
27/10/2023  
विशेष सचिव

आपांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-01-183/2023 - 5519 /पटना, दिनांक- 27.10.23  
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/ मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, संबंधित कार्य अंचल /संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
27/10/2023  
विशेष सचिव